(वाद सं0–7193/2017)

18.11.2021

परिवादी, अनुरंजन कुमार सिंह, व्याख्याता, भौतिकी विभाग, पूर्णियाँ महिला महाविद्यालय, पूर्णियाँ उपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के फरवरी 1994 से आज तक के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि वह पूर्णियाँ महिला महाविद्यालय, पूर्णियाँ में भौतिकी विभाग (विभागाध्यक्ष) में व्याख्याता के पद पर सामंजन के उपरांत फरवरी 1994 में योगदान दिया था। योगदान के बाद वह लगातार उक्त महाविद्यालय में शिक्षण का कार्य करता चला आ रहा है, लेकिन आज तक उसे वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। परिवादी की ओर से बकाया वेतन के भुगतान हेतु राज्य आयोग से अनुरोध किया जा रहा है।

उक्त पर बी0एन0 मंडल, पूर्णियाँ महिला महाविद्यालय, पूर्णियाँ से प्रतिवेदन की मांग की गयी। उप कुलसचिव (विधि), पूर्णियाँ महिला विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्णियाँ महिला महाविद्यालय, पूर्णियाँ में राज्य सरकार ने अपने ज्ञापांक–1074, दिनांक–11.08.1989 द्वारा स्नातक विज्ञान (पास) स्तर तक के अध्यापन वर्त्तमान संसाधनों एवं शिक्षक बल पर आरंभ करने की अनुमति 'इस शर्त्त पर दी गयी थी कि इस पर होने वाले व्यय का कोई भी अंश राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा और न ही कोई अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।'

परिवादी, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ के उपरोक्त कथन से सहमत है, लेकिन उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर दिया गया है तथा अब राज्य सरकार द्वारा अंगीभूत महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। लेकिन उनका यह भी कथन है कि महिला महाविद्यालय, पूर्णियाँ के स्नातक विज्ञान संकाय को राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है।

अब, जबकि राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के आलोक में पूर्णियाँ महिला महाविद्यालय, पूर्णियाँ के विज्ञान संकाय को अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है तथा परिवादी सहित उक्त

महाविद्यालय के विज्ञान संकाय के किसी के भी वेतन का वहन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में कोई दिशा–निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>